राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 18/2018**

**अपीलार्थी** **बनाम** **प्रत्यर्थी**

गोपीराम अग्रवाल
आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा,
बांसवाड़ा , राजस्थान

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

## द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## निर्णय

**दिनांक : 22-02-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सहायक अभियन्ता पीडब्ल्यूडी घाटोल, बांसवाड़ा उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 28-12-2016 के द्वारा बांसवाड़ा जिले में चाप नदी पर सीआरएफ से राशि प्राप्त करने बाबत सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय के पत्र दिनांक 03-04-2017 से प्रेषित की जा चुकी है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 21-02-2018 प्रस्तुत किया है। जिसके साथ पत्र दिनांक 24-1-2018, 10-1-2017, 13-01-2017, 20-02-2018, 21-02-2017, 18-01-2017, 31-01-2017, 15-03-2017 व 03-04-2017 की प्रति संलग्न की है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**